न्यायालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, बांसवाड़ा (राज.)

पीठासीन अधिकारी – प्रकाश चन्द्र शर्मा, IAS

प्रकरण संख्या : 10/2023

GCMS रजिस्ट्रेशन नं. : 2023/12

प्रार्थी/अपीलार्थी :–		अप्रार्थी /रेस्पोण्डेंट्सः–
मैसर्स हिन्दुजा हाउसिंग फाईनेन्स लिमिटेड, पंजीकृत कार्यालय 27–ए, डवलपड इण्डस्ट्रीयल एस्टेट, गुईन्डी, चैन्नई शाखा कार्यालय 21/22, उपरी भूतल, जयपुर इलेक्ट्रोनिक मार्केट बिल्डिंग, गोपालपुरा बाई पास पास जयपुर	बनाम	1. श्री मयंक राठौड पुत्र श्री यशवंत राठौड, निवासी बोहरा स्कूल के सामने, पिपली चौक, जिला बांसवाडा (ऋणी) 2. श्रीमती प्रीती राठौड पत्नी श्री मयंक राठौड निवासी बोहरा स्कूल के सामने, पिपली चौक, जिला बांसवाडा (सहऋणी)

निर्णय

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 14 वित्तीय आस्तियो का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002

दिनांक :– 12–07–2023

प्राधिकृत अधिकारी मैसर्स हिन्दुजा हाउसिंग फाईनेन्स लिमिटेड, पंजीकृत कार्यालय 27–ए, डवलपड इण्डस्ट्रीयल एस्टेट, गुईन्डी, चैन्नई शाखा कार्यालय 21/22, उपरी भूतल, जयपुर इलेक्ट्रोनिक मार्केट बिल्डिंग, गोपालपुरा बाई पास पास जयपुर की ओर से अधिवक्ता श्री राकेश पाटीदार ने प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि 1– श्री मयंक राठौड पुत्र श्री यशवंत राठौड, निवासी बोहरा स्कूल के सामने, पिपली चौक, जिला बांसवाडा (ऋणी) 2- श्रीमती प्रीती राठौड पत्नी श्री मयंक राठौड निवासी बोहरा स्कूल के सामने, पिपली चौक, जिला बांसवाडा (सहऋणी) को दिनांक 02–02–2019 को राशि रुपया 18,15,000 (अक्षरे अठ्ठार लाख पन्द्रह हजार रुपये मात्र) का ऋण स्वीकृत किया था। अप्रार्थीगण नियमित रुप से उक्त ऋण का भुगतान नही कर सके और भुगतान के व्यतीक्रम व अतिदेय होने पर दिनांक 31–03–2021 को अक्रियान्वित आस्ति में वर्गीकृत कर दिया है। अप्रार्थीगण के खाते दिनांक 09–10–2021 तक कुल बकाया राशि 2025857 रू. (बीस लाख पच्चीस हजार आठ सौ सत्तावन रुपये मात्र) एवं तत्पश्चात राशि मय ब्याज की वसूली के पूर्ण भुगतान हेतु स्वयं जिम्मेदार है। रिकवोरीटी के रुप [illegible] पास रहन की जिसका विवरण श्री मयंक राठौड पुत्र श्री यशवंत राठौड की [illegible] आवासीय [illegible].127 का उत्तरी हिस्सा, खान्दु कोलोनी, हनुमान मंदिर के पास गली, जिला बांस[illegible] फल 1200 वर्ग फीट [illegible] के पूर्व में हरि सिंह का मकान, पश्चिम में रोड 30 फीट, उत्तर में अम्बालाल का मकान, दक्षिण में प्लाट नम्बर 127 का शेष

Signature Not Verified
Digitally signed by Prakash Chandra Sharma
Date: 2023.08.07 12:48:28 IST
Reason: SelfAttested

कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट
बांसवाड़ा (राज.)

Scanned with OKEN Scanner

भाग है, को बतौर प्रतिभूति स्वरूप बन्धक रखा गया था, उसे आधिपत्य में लेने के लिए तथा उससे सम्बन्धित यदि कोई कागजात ऋणी/गारंटर के पास उपलब्ध हों तो उसे उपलब्ध कराने के लिए सहयोग हेतु निवेदन किया है।

वित्त विभाग (Department of financial services) की अधिसूचना दिनांक 22 जनवरी 2018 के अनुसार प्रार्थी **हिन्दुजा हाउसिंग फाईनेन्स लिमिटेड** को केन्द्रीय सरकार, वित्तीय आस्तियो का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन तथा प्रतिभूति हित का प्रवर्तन अधिनियम, 2002 (2002 का 54) के अन्तर्गत वित्तीय संस्था घोषित की है। साथ ही प्रकरण मे 20 प्रतिशत से अधिक एवं 1 लाख से अधिक ऋण बकाया होने के कारण सरफेसी एक्ट 2002 के अन्तर्गत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने में संस्था पात्र है।

प्रार्थी वित्तीय संस्था द्वारा अधिनियम की धारा 13(2) सरफेसी एक्ट 2002 के तहत दिनांक 09-10-2021 को ऋणी अप्रार्थीगणो को नोटिस दिया गया जिस पर उसने कोई जवाब या कार्यवाही नही की व ऋण राशि जमा नही करवाई। प्रोपर्टी के सम्बन्ध में प्रार्थी एवं अप्रार्थीगण के मध्य निष्पादित लोन एग्रीमेन्ट है।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण को अपना पक्ष प्रस्तुत करने हेतु विधिवत नोटिस दिनांक 17.01.2023 को जारी किये गए। अप्रार्थीगण सं. 1 से 2 के नोटिस बाद तामील दिनांक 15.02.2023 को प्रस्तुत हुए तथा अप्रार्थीगणो की ओर से श्री अजीत सिंह चौहान अधिवक्ता का अभिभाषक पत्र प्रस्तुत हुआ एवं जवाब हेतु समय चाहा। न्यायहित में जवाब हेतु पर्याप्त अवसर दिया जा चुका है। आज दिनांक 12.07.2023 को समस्त अप्रार्थीगण अथवा उनके अधिवक्ता अनुपस्थित है। अप्रार्थीगण सं. 1 से 2 को एवं उनके अधिवक्ता को बार बार रुक रुक कर सायं 04.00 पी.एम तक आवाज लगवाई गई। ऋणी/अप्रार्थी सं. 1 से 2 स्वयं अथवा उनके अधिवक्ता अनुपस्थित रहे है। न्यायहित में अप्रार्थीगणो को पर्याप्त अवसर दिये जा चुके है। समस्त अप्रार्थीगणो का जवाब बंद कर उनके विरुद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई जाती है।

प्रार्थी अधिवक्ता की ओर से प्रस्तुत एकपक्षीय बहस सुनी गई। प्रार्थी अधिवक्ता द्वारा बहस में कथन किया कि वित्तीय संस्था द्वारा अप्रार्थीगणो को दिनांक 02-02-2019 को राशि रुपया 18,15,000 (अक्षरे अठ्ठार लाख पन्द्रह हजार रुपये मात्र) का ऋण स्वीकृत किया था [illegible] नियमित रुप से उक्त ऋण का भुगतान नही कर सके और भुगतान के व्यतीक्रम [illegible] 31-03-2021 को अक्रियान्वित आस्ति में वर्गीकृत कर दिया है। अप्रार्थीगण के [illegible] 09-10-2021 तक कुल बकाया राशि 2025857 रू. (बीस लाख पच्चीस हजार आठ सौ सत्तावन रुपये मात्र) एवं तत्पश्चात राशि मय ब्याज की वसूली के पूर्ण भुगतान

Signature Not Verified
Digitally signed by Prakash Chandra Sharma
Date: 2023.08.07 12:48:28 IST
Reason: SelfAttested

कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट
बांसवाड़ा (राज.)

Scanned with OKEN Scanner

हेतु स्वयं जिम्मेदार है। ऋणी/ अप्रार्थीगणो द्वारा ऋण राशि जमा नही करवाई गई न ही आज सुनवाई के दौरान उपस्थित रहे है। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार करने निवेदन किया।

हमने एकपक्षीय बहस पर मनन किया पत्रावली का अवलोकन किया। वित्तीय संस्था द्वारा दिनांक **02–02–2019** को **राशि रुपया 18,15,000 (अक्षरे अठ्ठार लाख पन्द्रह हजार रुपये मात्र)** का ऋण स्वीकृत किया था। अप्रार्थीगण नियमित रुप से उक्त ऋण का भुगतान नही कर सके और भुगतान के व्यतीक्रम व अतिदेय होने पर दिनांक **31–03–2021** को **अक्रियान्वित आस्ति** में वर्गीकृत किया गया है। वित्तीय संस्था द्वारा सरफेसी एक्ट 2002 की धारा 13(2) के तहत दिनांक **09–10–2021** को ऋणी अप्रार्थीगणो को नोटिस जारी किये गए, जो कि अप्रार्थीगणो को रजिस्टर्ड डाक द्वारा प्रेषित किये तथा समाचार पत्र में भी उक्त नोटिस प्रकाशित किये गये है।

अतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 14 वित्तीय आस्तियो का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 स्वीकार योग्य है एवं बैंक/ वित्तीय संस्था को अचल सम्पत्ति का कब्जा लिये जाने हेतु सहयोग प्रदान किया जाना आवश्यक है। यदि नियमो के अनुसार किसी प्रक्रिया/प्रावधान की पालना नही की गई है तो समस्त उत्तरदायित्व प्राधिकृत अधिकारी बैंक/वित्तिय संस्था का होगा। तहसीलदार बांसवाडा को निर्देशित किया जाता है कि वह उक्त बन्धक स्वरूप सम्पत्ति का कब्जा एवं उससे सम्बन्धित कागजात **हिन्दुजा हाउसिंग फाईनेन्स लिमिटेड, पंजीकृत कार्यालय 27–ए, डवलपड इण्डस्ट्रीयल एस्टेट, गुईन्डी, चैन्नई शाखा कार्यालय 21/22, उपरी भूतल, जयपुर इलेक्ट्रोनिक मार्केट बिल्डिंग, गोपालपुरा बाई पास पास जयपुर** को दिलाने के लिए बैंक/संस्थान को आवश्यक सहयोग प्रदान करे एवं आवश्यक हो तो थानाधिकारी से पुलिस सहयोग प्राप्त करे। जिला पुलिस अधीक्षक से भी यह अपेक्षा की जाती है कि वह सम्बन्धित थानाधिकारी को निर्देश प्रदान करे कि आवश्यकता होने पर वह पुलिस सहायता प्रदान करे।

निर्णय आज दिनांक **12–07–2023** को खुले न्यायालय सुनाया गया।

(प्रकाश चन्द्र शर्मा)
कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट,
बांसवाड़ा (राज.)

कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट
बांसवाड़ा (राज.)

Signature Not Verified

Digitally signed by Prakash Chandra Sharma
Date: 2023.08.07 12:48:28 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner